तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेश हुक्म
10.11.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा एक शपथपत्र के साथ प्रार्थना पत्र U/S. 212 R.T. Act 1955 प्रस्तुत किया है, कि प्रार्थीगण ग्राम लीमच की भूमि ख० नं. 494, 495 साबिक खसरा नम्बर 405, 404 पर अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कंपनी के मध्य भिन्न-भिन्न न्यायालयों में उक्त भूमि से संबंधित वाद विचाराधीन रहे है परन्तु कंपनी ने मिलीभगत कर उक्त भूमि पर खनन हेतु स्वीकृति करवा ली। कंपनी उक्त भूमि पर खनन कार्य करने पर उतारू है। जबकि प्रार्थीगण को मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण ने कंपनी के पक्ष में खनन कार्य की सहमति भी नहीं दी है। कंपनी के अधिकारियों ने धमकी दी है, कि वे उक्त भूमि पर खनन कार्य करके रहेंगे, जबकि मौके पर प्रार्थीगण की फसल खड़ी हुई है। अन्त निवेदन कर अप्रार्थी कंपनी के विरुद्ध अस्थाई आदेश का अनुरोध चाहा। जवाब में अप्रार्थी द्वारा कथन किये गये कि पुराने खसरा नं. 404, 405 पर मुआवजा निर्धारण का निर्णय श्रीमान् जिला कलक्टर महो० कोटा द्वारा दि. 27.4.98 को किया गया। उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय R.A.A. कोटा दि. 13.8.98 एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 28.2.2003 को खारिज की जा चुकी है	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थी कंपनी के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार रा० मंडी के विरुद्ध एक वाद माननीय सिविल न्यायालय रामगंजमंडी में पेश किया था, जिसमें निर्णय दि. 21.7.2001 को अप्रार्थी कम्पनी के पक्ष में आदेश जारी किया हुआ है। वह आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण ख.नं. 496 रकबा 5.27 है. पर खनन कार्य नहीं करने देना चाहते इस हेतु काउंटर क्लेम के माध्यम यह प्रा० पत्र पेश किया है, जो काबिल खारिज है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार का स्वामित्व व खातेदारी नहीं है।

जवाब की प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को दी जाकर बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि इनदावा A.S.I. बनाम देवकरण में प्रार्थीगण प्रतिवादी थे कंपनी प्रार्थी० को बेदखल करने का आमादा है। इस कारण काउंटर क्लेम पेश कर रखा है। दावे के निस्तारण तक उन्हें बेदखल नहीं कर सकते। कब्जा मेरा है, यह खेती कर आ रहे हैं। वादी कंपनी प्रभावशाली है, उन्हें बेदखल कर सकती है। मद नम्बर 4 में [illegible] भराई का अंकन है, जो प्रार्थी के पूर्वज [illegible] हैं। वर्तमान में हम खेती कर रहे हैं। अतः उन्हें बेदखल नहीं किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
	वादी/अप्रार्थी का कथन है, कि भूमि सिवाय चक की 183 का दावा किया हुआ है। सबक घासी इनका कब्जा नहीं था। वादग्रस्त भूमि का मुआवजा ग्राम पंचायत को दिया जा चुका है किसी व्यक्ति को अनुतोष नहीं दिया जा सकता। इनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के थोड़े से हिस्से पर अनधिकार कब्जा कर रखा है, इसकी आड़ में पूरी भूमि पर अनाधिकार कब्जा करना चाहते है खनन कार्य करता है, तो अप्रार्थी का नुकसान होगा। मौके पर खनन कार्य हो रहा है हम इन्हें बेदखल नहीं कर रहे है यदि ऐसा होता तो हम 183 का दावा क्यों करते अतिचारी को बेदखल करना कानून की मंशा नहीं है। अतः ता.इ. खारिज की जावे। रिवीजन के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है, कि पूर्व में नाम दर्ज रहा है इन्तकाल तस्दीक हुआ है। सारे तथ्य वादग्रस्त के तय होगें दावे तक इन्हें पाबंद किया जावे। हमें अपूरणीय क्षति हो सकती है ता.इ. जारी जावे। बाद बहस प्रकरण का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष, अप्रार्थी के जवाब, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया।	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्ब मनन जमाबन्दी बावजूद इसके कि खाता अराजियात ख0नं0 494-495 मालिक खेत समस्त वाशिन्दा घोली डा0 नाथराम कौम इत्यादि नाम दर्ज थी (सम्वत 2054-57) जमाबन्दी में साबिक ख0नं0 ४०४ व ४०५ पर ख0नं0 ४०४/१२) व ४०५/१०)४ पर A.S.I. कंपनी के खनन कार्य की अनुमति का अंकन भी हस्ब करके मिनहा साबिक ख0नं0 ४०४ से ४८७४ व ४५५४ व ४०५ से ४८८ पैमूद किया जाना प्रमाणित थी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नामान्तकरण 300 को श्रीमान् जिला कलक्टर महो0 कोटा के आदेश दिनांक 30-5-2001 से निरस्त कर दिया जाना प्रमाणित होता है।	
	हस्ब निर्णय श्रीमान् जिला कलक्टर महो0 कोटा दि0 27.5.98 से प्रकट नोटिस इति ख0नं0 ४०४/१३)४ व ४०५/१०)४ पर A.S.I. कंपनी को धारा 89 (उ.प.स.) के अन्तर्गत खनन कार्य की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय R.A.A. कोटा में ग्राम पंचायत द्वारा की गई जिसमें मुआवजा राशि ग्राम पंचायत को दिया जाना तय किया गया। घोली इत्यादि को मुआवजा प्राप्ति का हकदार नहीं माना। उक्त निर्णय दि. 13.8.98 को जारी किया गया। माननीय न्यायालय R.A.A. कोटा के निर्णय दिनांक 13.8.98 की अपील प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की जिसे माननीय राजस्व मण्डल मि.नं. 43/2002/L.R/कोटा निर्णय दिनांक 28.2.03 से खारिज कर दिया है। प्रथम तो प्रार्थीगण मूलतः घोली के वैध वारिसान तय नहीं हुए थे, और बावजूद इसके प्रार्थीगण के	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नाम दर्ज नहीं है। अतः प्रकरण के विवेचन पर पाया जाता है कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है।
	प्रकरण वर्णित भूमि का अप्रार्थी कम्पनी द्वारा मुआवजा विधि अनुसार तय करवा कर संबंधित ग्राम पंचायत को भुगतान करवा कर खनन कार्य किया जा रहा है। उक्त खनन सहमति कई बार न्यायिक प्रक्रिया से गुजर चुकी है। मौके पर अधिकांश भूमि पर खनन कार्य किया जाना बताया गया है यदि विधिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त अधिकार (खनन कार्य) से अप्रार्थी को रोका जाता है, तो इससे अप्रार्थी को ही असुविधा होगी। प्रार्थीगण को असुविधा होना तय नहीं है। सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।
	अप्रार्थी प्रकरण वर्णित भूमि को विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत मुआवजा तय करवा कर खनन स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त खनन कार्य कर रहे हैं, यदि उन्हें अस्थाई आदेश पाबंद किया जाकर खनन कार्य से रोका जाता है, तो इससे प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है, इसके विपरीत अप्रार्थी को ऐसी क्षति संभाव्य है, जिसका आंकलन मुद्रा के रूप में संभव नहीं हो सकता।
	[signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की बनिस्पत - अप्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। प्रार्थीगण का या अप्रार्थी की वादग्रस्त भूमि पर क्या स्वत्व प्राप्त है? या होने चाहियें इसका विनिश्चय शुरुवाद में सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मैरिट पर होना है, न कि प्रा० पत्र या इसके जवाब के आधार पर। अतः गुणावगुण के आधार पर यह तय है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 212 R.T.Act की शर्तों को फुलफिल नहीं करता है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर शुरुवाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी नागौर/जायल(?)	